राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00227/2013

रघुनन्दन शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, (प्रशासन) मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.04.2013
आदेश दिनांक **19.02.2024**

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री सुमेर सिंह बड़सरा , अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को 9,18, एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 23.05.1968 से गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ शेष राशि मय ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 23.05.1968 द्वारा हुई थी और आदेश दिनांक 27.03.1973 के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति की गई। राज्य सरकार द्वारा 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एव तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के प्रावधान किए गए परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया। अपीलार्थी की नियुक्ति तदर्थ आधार पर हुई थी, उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के समान ही जगदीश चंद्र दायमा के मामले में जिसकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर हुई थी और उसको चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में विभाग को अभ्यावदेन

प्रस्तुत किया परंतु उसका कोई निराकरण किया गया। उक्त मामले के आधार पर अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी ने 35 वर्ष तक विभाग में सेवाए दी परंतु चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया जो विधि विरूद्ध एवं नियमों के विपरित है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को 9,18, एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 23.05.1968 से गणना करते हुए चयनित वेतनमानों का लाभ दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ शेष राशि मय ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.07.1995 को द्वारा राजस्थान अभियान्त्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम–1967 के नियम 20 एवं 26 के तहत तदर्थ मिस्त्री को मिस्त्री के पद पर वेतन श्रृंखला 950–1680 में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या– एफ.3 (3) डी.ओ.पी./ ए–11/88 दिनांक 21.12.1989 व पत्र संख्या– प. 15 (1) (51) सिं./91 दिनांक 01.07. 1992 के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 25.05.1995 द्वारा अपीलार्थी को नियम– 20 व 26 के तहत नियमित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.03.2000 द्वारा अपीलार्थी को 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिलाये जाने हेतु विभाग के विधि परामर्शी से पत्राचार किया गया ताकि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिलाया जा सके। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 29.09.2000 के अनुक्रम में अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति आदेश दिनांक 25.07.1995 द्वारा की गयी। अतः अपीलार्थी को दिनांक 25.07.1995 से सेवा अवधि की गणना कर 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देय है। अपीलार्थी को चयनित वेतनमान देने की गणना दिनांक 25.07.1995 से करने पर 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.07.2004 को देय होता है किंतु अपीलार्थी ने दिनांक 31.12.2003 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली थी, जिससे दिनांक 31.12.2003 को अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी चयनित वेतन मान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 23.05.1968 के द्वारा मिस्त्री के पद पर 6 माह के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर तदर्थ आधार पर हुई थी। जहां तक अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने का प्रश्न है आदेश दिनांक 23.05.1968 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अस्थाई तौर पर तदर्थ आधार पर हुई थी। आदेश दिनांक 23.03.1973 के द्वारा अपीलार्थी को अकाल राहत कार्य हेतु अस्थाई तौर पर पदोन्नत किया गया था और आदेश दिनांक 25.05.1995 द्वारा अपीलार्थी को नियम 20 व 26 के तहत नियमित किया गया। इस प्रकार नियमित तिथि से सेवा की गणना करते हुए 9 वर्ष की सेवा दिनांक 27.07.2004 पूर्ण होती है जबकि अपीलार्थी दिनांक 31.12. 2003 को अधिवार्षिक आयु प्राप्त कर लेने के कारण राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो गया। इस प्रकार नियमित 9 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में हमें कोई बल प्रकट नहीं होता है अतः अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य